



उत्तर प्रदेश UTTAR P



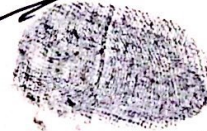
CW 520418

1. भूमि का प्रकार - आवासीय भूखण्ड
2. मौहल्ला/ग्राम. स्थित मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून सरस्वती बिहार
3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति : भूखण्ड
4. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) 102.18 वर्गमीटर
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 102.18 वर्गमीटर
6. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार .15 फीट चौड़ा रास्ता
7. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) नहीं
8. प्रतिफल की धनराशि. 800000/-रुपये
9. स्टाम्प हेतु मालियत 800000/-रुपये
10. अदा किये जाने वाला स्टाम्प : 56000/-रुपये
11. सरकारी दर भूमि 6500/-रुपये वर्गमीटर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 19 क्रमांक 392 कोड नंबर-0128 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा II

S. D. Singh



S. D. Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520420

18 JUN 2019

(3)

जो कि भूखण्ड पैमायशी पूरब-50 फीट पश्चिम-50 फीट, उत्तर-22 फीट दक्षिण-22 फीट क्षेत्रफल 102.18 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है

पूरब-प्लाट क्रेता

पश्चिम-प्लाट क्रेता

उत्तर-प्लाट क्रेता

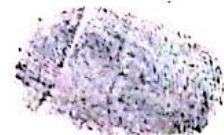
दक्षिण-रास्ता 15 फीट

स्थित मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून सरस्वती बिहार जो खसरा नंबर-986मि0 से 992 मि0 की भूमि में है मिल्कियत प्रथमपक्ष विक्रेता की है जिस पर प्रथमपक्ष विक्रेता का कब्जा है जिसको प्रथमपक्ष

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520420



(3)

जो कि भूखण्ड पैमायशी पूरब-50 फीट पश्चिम-50 फीट, उत्तर-22 फीट दक्षिण-22 फीट क्षेत्रफल 102.18 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है

पूरब-प्लाट क्रेता

पश्चिम-प्लाट क्रेता

उत्तर-प्लाट क्रेता

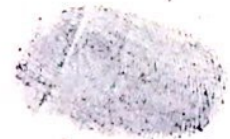
दक्षिण-रास्ता 15 फीट

स्थित मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून सरस्वती बिहार जो खसरा नंबर-986मि० से 992 मि० की भूमि में है मिल्कियत प्रथमपक्ष विक्रेता की है जिस पर प्रथमपक्ष विक्रेता का कब्जा है जिसको प्रथमपक्ष

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

CW 520421

18 JUN 2019

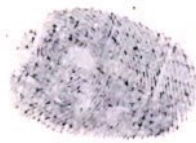
(4)

विक्रेता ने अपने निजी धन के रुपये से बजरिये बैनामा दिनांक-11.5.2016 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में वही नंबर-1 जिल्द 7772 के सफा 173/198 नंबर-5121 पर दिनांक-11.5.2016 हुई, कन्हैयालाल से खरीदा । जिस पर प्रथमपक्ष विक्रेता का वास्तविक व मालकाना आधिपत्य है और जिसकी वास्तव प्रथमपक्ष विक्रेता को हर प्रकार के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के विवादों

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520422

18 JUN 2019

(5)

झगड़े झंझटों कर्जों जमानतों व हर प्रकार की देनदारियों से मुक्त है। जिसमें अलावा प्रथमपक्ष विक्रेता के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो प्रथमपक्ष विक्रेता के उक्त प्लॉट जमीन के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके। उक्त प्लॉट जमीन खाली है, उससे कोई आय या लाभ प्रथमपक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520423

18 JUN 2019

(6)

विक्रेता को नहीं है न वह प्रथमपक्ष विक्रेता के उपयोग में आ रही है न निकट भविष्य में उसे उपयोग में लाने का कोई विचार है प्लॉट की सुरक्षा में खर्चा करना पड़ता है, अतः उसे बेचा जाना प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपने हित में आवश्यक समझा है। कीमत अच्छी मिल रही है, बेचने में लाभ है, अतः उक्त प्लॉट को समस्त अधिकार सहित जो प्रथमपक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो सकते हों, वएवज 800000/-आठ लाख रुपये में वहक क्रेता पिंगसिटी प्रोपर्टीज प्रा०लि० जिसका प्रधान कार्यालय 19, काला बाग, अजमेर, लोकल आफिस अरोड़ा भवन पुराना शहर वृन्दावन जिला मथुरा उ०प्र० द्वारा डायरेक्टर संदीप कुमार अरोड़ा पुत्र श्री कृष्ण कुमार अरोड़ा निवासी रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बँ कतई कर दिया और बेच दिया और





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520244



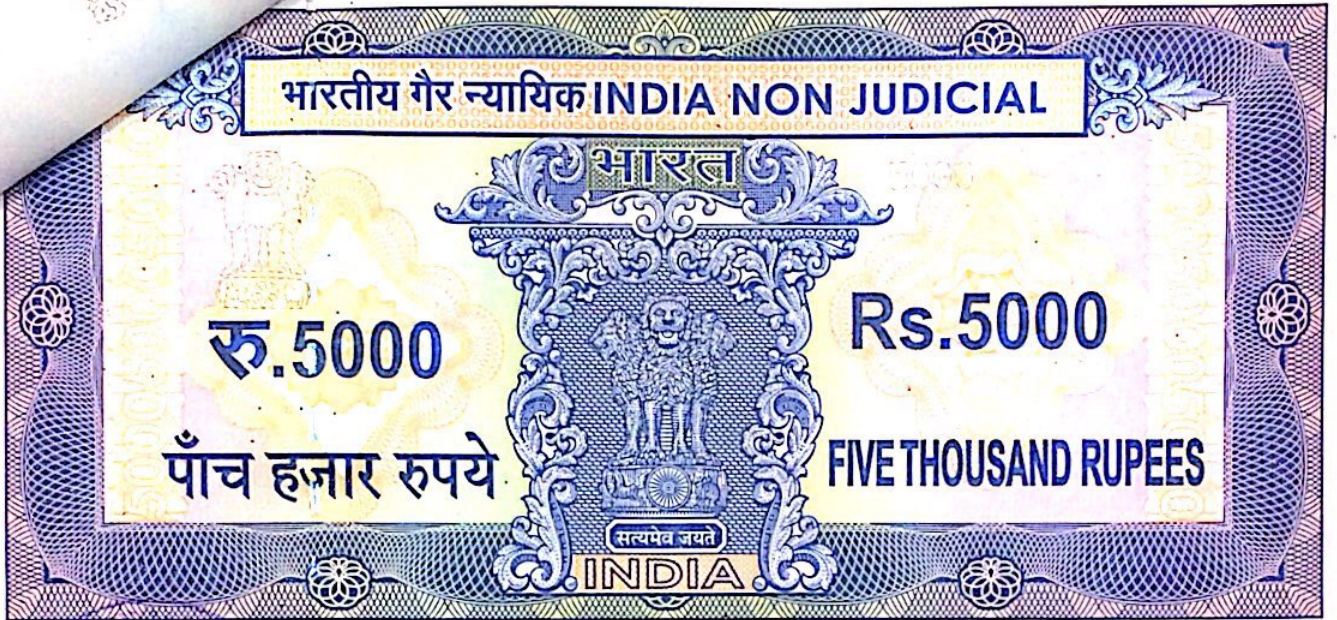
(7)

कीमत का कुल रूपया खरीदार से :-

800000/-रूपये चैक नबर-001844 दिनांक-20.6.2019 एच0डी0एफ0सी0 बैंक

इस प्रकार कीमत का कुल रूपया उपरोक्तानुसार प्राप्त करके बेचे गये प्लाट भूखण्ड पर खरीदार द्वितीयपक्ष का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना अपने समान पूरा करा दिया। आज की तारीख से खरीदार द्वितीयपक्ष बेचे गये प्लाट





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520245

18 JUN 2019

(8)

जमीन का स्वामी हुआ। वह समस्त अधिकार मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करे, अब प्रथमपक्ष विक्रेता को व उसके वारिसानों को बेचे गये प्लॉट से कोई सम्बन्ध न रहे और सरोकार कतई किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में कदापि

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520258

CW 520258

18 JUN 2019

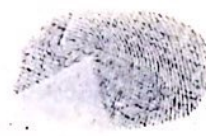
(9)

होगा। यदि किसी की दावेदारी से बेचे गये प्लॉट का कुल या जुज भाग कब्जा खरीदार द्वितीयपक्ष से निकल जावे या खरीदार द्वितीयपक्ष को कुछ खर्चा आदि करना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उस सबकी समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता व उसके वारिसान की होगी। खरीदार

Durgaw



Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

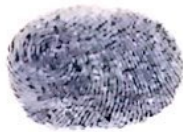
CW 520259

18 JUN 2019

(10)

अपने मूल्य का कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व व्याज सूद के प्रथमपक्ष विक्रेता व उसके वारिसान व उसकी चल अचल सम्पत्ति से बाजाबता वसूल करले। इसमें प्रथमपक्ष विक्रेता को व उसके वारिसानों को

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 520260

CW 520260

18 JUN 2019

11

कोई आपत्ति नहीं होगी। प्लॉट विक्रय की बावत कोई इकरारनामा नहीं हुआ है। बेचे जाने वाले प्लॉट जमीन को संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार व गवाहान के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर व दिखाकर उनके निर्देशानुसार झापट किया गया है। बेचे जाने वाला प्लॉट जमीन नगर निगम की सीमा के अन्दर है। क्रेता व विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया गया भूखण्ड का फोटो इस विक्रय पत्र पर चस्पा किया जा रहा है।

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 267208

12

18 JUN 2019

लिहाजा यह बैनामा वखुशीराजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । जिसका प्रथमपक्ष व उसके वारिसान सदैव पाबन्द रहेंगे ।

दिनांक : 21.6.2019

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारियामथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

साक्षी नंबर-1 नरेश कुमार पुत्र स्व० श्री प्यारेलाल
निवासी 18, तराश मन्दिर रोड वृन्दावन जिला मथुरा
मो० 9837017077



साक्षी नंबर-2 मौहम्मद शफीक बल्द मो० सलीम
निवासी दामोदरपुरा मथुरा

